**भारत सरकार**
**शिक्षा मंत्रालय**
**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-3551**
**उत्तर देने की तारीख-11/08/2025**

# छात्रावास आवंटन में ओबीसी के लिए आरक्षण

**3551. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) सहित देश के अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रावास आवंटन में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अब तक कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं की गई है;
(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि छात्रावास आवंटन में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं करना सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है और वंचित वर्गों के लिए 'समावेशी शिक्षा' के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के विपरीत है;
(घ) क्या सरकार छात्रावास आवंटन में ओबीसी छात्रों के लिए संवैधानिक आरक्षण लागू करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है; और
(ङ.) यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (ङ) केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु आरक्षण सहित प्रवेश में आरक्षण केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 द्वारा अभिशासित होता है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्षमता विस्तार योजना के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को कुल 135 करोड़ रुपये (गैर-आवर्ती) आवंटित किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध कराना भी शामिल है।

*****